

17 ¹⁰/₂₅

पत्रावली प्रार्थिया लक्ष्मी डेवी के जरिये
अधिवक्ता के आवेदन अन्वर्गत धारा 152
CPC पर आज नेशन हुई। प्रार्थिया लक्ष्मी
डेवी ने जरिये अधिवक्ता आवेदन 152 CPC
पेरा कर निवेदन किया कि अपीलाधी
संख्या 2 (सुन्दरी डेवी), रैफो. संख्या 5
(धुंजाराम) के वादिसान के नाम पक्षन

से निर्णय दिनांक 13/10/2025 में
अंकित नहीं किये गये हैं तथा निर्णय
दिनांक 13.10.2025 में पैरा संख्या 1
में दिनांकित 15.04.1973 गलत अंकन
हो गये। अतः उक्त को दुरुस्त किया
जावे।

मैंने आधीया हादा पेरा आवेडन 1524PC
त पत्रावली में अपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि
निर्णय दिनांक 13/10/2025 में पैरा संख्या
1 में सखन से दिनांक 15/04/1971 के स्थान
पर 15/04/1973 गलत दर्ज हो गया। अतः
उक्त को दुरुस्त किया जाकर 15/04/1973 के
स्थान पर 15/04/1971 शुद्ध किया जाना है।
तदनुसार लाल स्याही से अंकन हो। तथा
अपीसार्थी संख्या 4 (सुन्दरी डेवी), रेस्यो
संख्या 5 (धूजराम) के कारिसान के नाम
सखन से छूट गये हैं। अतः पैरा संख्या
दिनांक 13/10/2025 में पैरा संख्या 1
पुनः रकण करा शाठ मिलास वही उक्त
निर्णय दिनांक 13/10/2025 का
भाग रहेगा। पत्रावली के लिये शुमान होकर
नम्बर से कम होकर दायिम दफ्तर हो।

Rawat
उपखण्ड अधिकारी
दौतारामगढ़ (सीकर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर

क्रमांक: रीडर/2025/600


दिनांक :- 15/10/2025

तहसीलदार,

दांतारामगढ़।

विषय:- अपील प्रकरण संख्या 04/2012 उनवान लक्ष्मी व अन्य बनाम
मंगलचन्द व अन्य में निर्णय की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत उनवान में न्यायालय आदेश दिनांक 13.10.2025 की
प्रमाणित प्रति भेजकर लेख है कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन ना होने की
स्थिति में अपीलोत्तर अवधि बाद निर्णयानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट
न्यायालय हाजा में भिजवाना सुनिश्चित करें।


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़